[2007] 10 एस सी आर 146

मोसेस विल्सन एवं अन्य

बनाम

कस्तूरीबा एंव अन्य

20 सितंबर, 2007

**[ ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]**

न्याय प्रशासनः

*पुराने मामलों का निपटान : धन की वसूली के लिए मुकदमा 1947 में दायर किया गया - फैसले से पहले कुर्की के आदेश को चुनौती-जटिल मुद्दों अन्तर्वलित रखने वाला प्रकरण 60 से अधिक वर्षों से लम्बित-निर्धारित - पक्षकारों की सहमति से पूरी संपत्ति, जो मुकदमे का विषय है, को संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा दोनो पक्षों के बीच समान हिस्सों में विभाजित करने का निर्देश दिया जाता है।*

न्याय प्रशासनः

अदालतों में मामलों के निपटारे में देरी को ठीक करना - जोर देने की आवश्यकता - संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का सुझाव

[2007] 10 एस सी आर 146

राजेन्द्र सिंह (मृतक) जरिये विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य बनाम वी. प्रेम माई एवं अन्य [ 2007 ] 9 एस. सी. आर. 300 पर भरोसा किया और दोहराया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 1062-1065/2007

(मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1987 में सी.आर.पी. संख्या 3679-3682 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 31.07.1998 से)

डॉ. ए. फ्रांसिस जूलियन, सुमित कुमार और अमित कुमार मिश्रा (अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी) अपीलार्थियों के लिए।

के. राममूर्ति, वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद और रेवती उत्तरदाताओं के लिए राघवन।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

हमने उभयपक्षों के लिए विद्वान वकीलों को सुना है।

हम सभी चार अपीलों का एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा कर रहे हैं।

ये अपीलें 1947 में दायर एक मुकदमे एवं उसकी पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों से उत्पन्न होती हैं। यह वाद 7,000/- रुपये (अक्षरे सात हजार

रूपये) की राशि का था और उसमें प्रतिवादी की सूखी मछली के सम्बन्ध में निर्णय से पहले कुर्की का आदेश किया गया था। तीसरे पक्ष ने सूखी मछली के स्वामित्व का दावा किया और उसने कुर्की आदेश के उन्मोचन के लिए आवेदन किया। इसका अधिक विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें शामिल तथ्य बहुत जटिल हैं जो 60 से अधिक वर्षों से खिंच रहे है। इसलिए, उभयपक्षों के विद्वान वकीलों की सहमति से हम इस मुकदमे के मामले को संक्षिप्त करते हुए निर्देश देते है कि समस्त सम्पत्ति को दोनों पक्षों के बीच समान शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। आधा हिस्सा अपीलार्थियों को दिया जाना चाहिए और बाकी आधा उत्तरदाताओं को दिया जाना चाहिए।

चूंकि इसमें कई संपत्तियां शामिल हैं, यह तय करने के लिए कि कौन सा भाग अपीलार्थियों के पास जाना चाहिए और कौन सा भाग उत्तरदाताओं के पास जाना चाहिए, यह न्यायसंगत और उचित है कि यह अभ्यास स्वयं जिला न्यायाधीश नागरकोईल (कन्याकुमारी) द्वारा या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावे। जिला न्यायाधीश दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर सकता है और संपत्तियों को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश (या ए. डी. जे., जैसा भी मामला हो) से

व्यथित हो तो दोनों में कोई भी पक्ष अधिक स्पष्टीकरण के लिए इस न्यायालय में आ सकता है। जिला न्यायाधीश, कन्याकुमारी, नागरकोइल (या उनके द्वारा नामित ए. डी. जे.) को निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करें।

यहाँ उपलब्ध सभी अभिलेखों को (जिला न्यायाधीश, कन्याकुमारी, नागरकोइल) को प्रेषित किया जाए।

अपीलों का तदनुसार उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

इस मामले के समाप्त होने से पहले हम फिर से हमारे न्यायालयों में मामलों में निपटारे में देरी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हाल ही में सिविल अपील 2001 की सं. 1307 शीर्षक राजेन्द्र सिंह (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य बनाम प्रेम माई व अन्य निर्णय दिनांक 23 अगस्त, 2007 में हमने इस स्थिति के बारे में अपनी गहन पीड़ा व्यक्त की थी और अवलोकन किया था कि इस देश में मामलों के निपटारे में देरी के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास तेजी से कम हो रहा है। हमने मीडिया की खबरों में बिहार के वैशाली जिले में संदिग्ध चोरों की पीट-पीटकर हत्या करने की खबर, पटना सिटी सिविल कोर्ट के

बाहर एवं विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या की खबर और अन्य घटनाएं जहां लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया, को देखा है। यह स्पष्टत: इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अदालती कार्यवाहियों में देरी के कारण अदालतों में न्याय नहीं होगा। यह वास्तव में एक चिंताजनक स्थिति है और हम एक बार फिर संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इससे पहले कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए, वे इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

अपीलों का निपटारा किया गया।

आर. पी.

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी समीक्षा गौतम, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।